limit, prior permission should be obtained by passing a special resolution.

हिन्दू विवाह अधिनियम में कतिपय अपेक्षित सुधार

4568. **श्री गोपाल रिंह जी. सोलंकी**: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हिन्दू विवाह अधिनियम में कतिपय सुधार करने और तलाक के मामलों को शीघतापूर्वक निपटाने के लिए तलाक कानून को बहुत सरल बनाने का विचार रखती है;

(ख) क्या वर्तमान तलाक कानूनों में जटिलताओं के कारण अधिकांश फैसले महिलाओं के पक्ष में किए जाते है और इसके परिणामस्वरूप अनेक मामलों में निर्दोष पुरूषों को अत्यधिक वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या वर्तमान तलाक कानूनों के अन्तर्गत अब उपबन्ध बनाने आवश्यक हो गए हैं ताकि पूरूष वर्ग के लिए समान और सरल अधिकार तथा न्याय सुनिश्चित किया जा सके; ओर

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई विधेयक लाने का विचार रखती है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एम. तम्बी दुरई): (क) हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन, विवाह-विच्छेद से संबंधित उपबंधों को उदार बनाने के क्रम में और वैवाहिक कार्यवाहियों को शीघ्र निपटाने के लिए भारंत के विधि आयोग की 59वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर इन अधिनियमों में, विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा व्यापक संशोधन किए गए थे। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन विवाहों की अकृतता की डिक्री घोषित करने के लिए मिरगी के आधार को हटाने के प्रयोजन के लिए तारीख 13,8,97 को राज्य सभा में हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 1977 पुर:स्थापित किया गया था, जो लंबित है। उपरोक्त के अलावा, 1954 और 1955 के पूर्वोक्त अधिनियमों में कोई और परिवर्तन सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ)जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Misuse of funds meant for voter cards in West Bengal

4569. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "voter card lapses cost West Bengal Rs. 2.14 crores" appearing in the Indian Express, dated 2nd July, 1998;

(b) if so, according to CAC report whether payment was made for defective voter cards to agencies inchargc of preparation of voter cards;

(c) whether funds meant for voter cards were used for purchases of other euqipments in West Bengal;

(d) if so, what steps have been taken/ proposed to be taken to rectify such irregularities; and

(e) whether instructions have been issued to state Government for preparation of voter cards; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI) (a) Yes Sir, Government are aware of the said news item.

(b) to (d) The information has been called for from the Government of West Bengal and will be laid on the Table of the House on its receipt.

(e) The Election Commission of India has been, from time to time, issuing instructions spelling out modalities as regards the functional and financial aspects regarding preparation of Voter Cards.